


सैंपल पेज 1



आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए
प्रारूप भाग-I

1. निवास स्थान का पूर्ण पता:- 41-1312 [Redacted] [Redacted]
2. प्रार्थी (विद्यार्थी/केपिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम [Redacted]
पिता/पति का नाम श्री [Redacted] आयु [Redacted] वर्ष 51 माह [Redacted] महीने
तह [Redacted] जिला [Redacted] पिनकोड [Redacted]

3. स्वयं/स्वयं की एवं पति की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:-

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु. [Redacted]	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या व्याज, लामांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु. [Redacted]

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 14-12-21

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर [Redacted]

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों [Redacted] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री [Redacted] निवासी [Redacted] की मली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर [Redacted]

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति [Redacted]
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय [Redacted]

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अमिश्रंभा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ-पत्र)

मैं [Redacted] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री [Redacted] शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु. [Redacted] अक्षरे रु. [Redacted] है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-नरोड़ कर देश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता [Redacted]

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) [Redacted] पिता/पति का नाम [Redacted]
आयु [Redacted] निवासी [Redacted] ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार
अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान [Redacted] के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय [Redacted]

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/नोटरी पब्लिक/अन्य कृत्य अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहुर [Redacted]

ATTESTED
प्रमाणीकरण अधिकारी [Redacted]
NOTARY PUBLIC
DISTT JAIPUR